छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   त्रयोदश सत्र   अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022
(फाल्गुन 17, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

मानिनीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष उल्लेख किया :-

सम्माननीय सदस्यगण, संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश प्रत्येक वर्ष आज अर्थात 08 मार्च को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के रूप में मनाते हैं।

हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे राज्य की राज्यपाल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री भी महिला हैं, साथ ही इस विधानसभा में कुल 14 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। मैं आप सभी सम्माननीय महिला सदस्यों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

अगर हम महिलाओं को इस विश्व की जननी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं ही परिवार बनाती है, परिवार से घर बनता है, घर से समाज, समाज से राष्ट्र और कई राष्ट्रों के समूह से ही समूचा विश्व बनता है । इस वर्ष आज के इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय “Gender equality today for a sustainable tomorrow” (अर्थात सुदृढ़ कल के लिए लैंगिक समानता) निर्धारित है ।

हमारा देश आदिकाल से ही नारी शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है, ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' की भावना से हमारी संस्कृति अनुप्राणित है । हम नारी को देवी, धैर्य एवं धन अर्थात लक्ष्मी का प्रतीक मानते ही हैं । आईये, आज इस दिवस पर हम अपनी संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक बार पुन: दृढ़ संकल्पित होवें और नारी को पुरूष के समान ही समाज के हर क्षेत्र में समान अवसर देने का संकल्प लें और उन्हें पूर्ण सम्मान दें।

पुन: आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

धन्यवाद ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 एवं 08 के प्रश्न कर्ता सदस्य क्रमश: श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्री विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय नगरीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(3) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22,

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2018-19,

(5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(6) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2020-21,

(7) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21,

(8) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20,

(9) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़

राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(10) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 13 सितम्बर, 2021,

(11) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(12) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(13) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार क्रमांक एफ 20-1/2017/38-2 (पार्ट), दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020,

(14) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(15) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2019, दिनांक 4 फरवरी, 2020 तथा

(16) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

पटल पर रखे।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

1. वित्तीय कार्य :-

(1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2022 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक का उपस्थापन बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2022 को मध्याहन 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को होगी।

(3) शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 से बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2022 को अपराहन 4.00 बजे तक वित्तीय वर्ष 2022- 2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात् विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1)	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट
(2)	श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	- 2 घंटे
(3)	श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	- 2 घंटे
(4)	श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री,	- 2 घंटे
(5)	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	- 2 घंटे
(6)	श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री	- 2 घंटे

(7)	श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	- 2 घंटे
(8)	डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री	- 1 घंटा
(9)	श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	- 1 घंटा
(10)	श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	- 1 घंटा
(11)	श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	- 1 घंटा
(12)	श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	- 1 घंटा
(13)	श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री	- 1 घंटा

2. विधि विषयक कार्य :-

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक,2022,	- 45 मिनट

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

6. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मंत्री लोग प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न करेंगे तो सदस्यों का प्रश्न पूछना मुश्किल हो जायेगा तथा आसंदी से आग्रह किया कि प्रश्नकाल में एक घंटे के सीमित समय में निरन्तर व्यवधान होने की स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न न हो ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि जिस प्रकार से सदन के नेता या प्रतिपक्ष के नेता यदि खड़े हों तो अन्य सदस्यों को उस समय खड़े नहीं होना चाहिये, सदस्यों को आसंदी की अनुमति से ही खड़े होना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की अपनी स्वस्थ परम्परा है और किसी को भी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री से अनुरोध है कि विधान सभा की गरिमा के अनुरूप आचरण करें ।

7. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है इसे किसी न किसी रूप में लिया जायेगा ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

माननीय उपाध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 सूचनाकर्ता सदस्य श्री अजय चन्द्राकर से आग्रह किया कि चूंकि आज अंतराष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिये माननीय सदस्य यदि सहमत हों तो सूचना प्रस्तुत श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य करें ।

माननीय सदस्य ने सहमति व्यक्त की ।

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामले में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले में केलो परियोजना अंतर्गत किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में हिन्दी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उतकृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदले जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

9. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(4) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लंबित रखी जाने की ओर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(3) श्री नारायण चंदेल

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

12. वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरा अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 3, 6, 8, 11, 19, 21, 30, 41, 46, 64, 65, एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार सौ बानबे करोड़, तैंतीस लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ अनठानबे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

13. व्यवस्था का प्रश्न

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपर बाद में चर्चा होगी और अनुपूरक पर चर्चा पहले होगी, यह उचित नहीं है, यह परम्पराओं के विपरीत है ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अभिभाषण पर चर्चा से पूर्व अन्य कार्य न लिये जाने संबंधी आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैंने सुना । संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक कौल एण्ड शकधर के पृष्ठ 228 में यह उल्लेख है कि अभिभाषण पर चर्चा, अभिभाषण किये जाने के कुछ दिनों बाद प्रारंभ होती है और इस बीच के समय में अन्य सरकारी काम किया जा सकता है अत: मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अग्राहय करता हूं ।

14. बहिष्कार

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुपूरक अनुमान पर चर्चा कराये जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया ।

15. वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

17. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापान प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञपान प्रस्ताव के संबंध में श्री संतराम नेताम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ.रेणु अजीत जोगी, श्री रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा ।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अरूण वोरा, शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 06 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नारायण चंदेल, प्रकाश शक्राजीत नायक, केशव प्रसाद चन्द्रा, पुन्नूलाल मोहले, रामकुमार यादव, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया ।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रात्रि 08.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा